

दिनांक 04.02.2023 को थाना रानीपुर क्षेत्रान्तर्गत शराब ठेका सेल्समैन से लूट की घटना में शामिल एक शातिर लूटेरा गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 2450 रुपये, डी0वी0आर0, चोरी की एक मोटरसाइकिल व घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.03.2023 को रात्रि थाना रानीपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर अकबरपुर पुलिस के पास से प्रदीप चौहान पुत्र विकेन्द्र चौहान निवासी रामपुर काझा थाना रानीपुर जनपद मऊ के कब्जे से एक अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व लूट के 2450 रुपये, डीवीआर तथा चोरी की एक मोटरसाइकिल सूपर स्लेण्डर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि यह मोटरसाइकिल हम लोग सहादतपुरा से चोरी किये थे जिसका नम्बर प्लेट फेककर बिना नम्बर प्लेट के उपयोग में लाते है। कड़ाई से पूछताछ के बाद उक्त अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 04.02.2023 को मैं और अरूण राजभर उर्फ दाढी और मृत्युंजय राजभर मिलकर बस्ती में शराब सेल्समैन से रुपये व एक पेटी शराब लूटे थे और चलते चलते दुकान की डी0वी0आर0 भी उठा लिये थे। जिसमें इसी तमंचा को दिखाकर डराये थे। लूट के रुपये के बटवारे में मुझे 05 हजार रुपये मिले थे जिसमें से यही रुपये शेष बचे है बाकि खर्च कर दिये। अभियुक्त के निशानदेही पर डी0वी0आर0 भी बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 38/23 धारा 41,411 भादवि0 व धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

चोरी की मवेशी के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 07.03.2023 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान भातकोल मोड़ से मो0 आरिफ पुत्र मो0 दरगाही निवासी भटमिला थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की एक राशि मवेशी (बकरा) बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 65/23 धारा 379 भादवि0 में धारा 411 भादवि0 की बढोत्तरी कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया।

25 शीशी अवैध देशी शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 07.03.2023 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान शरायसादी मिश्रौली रोड़ के पास से संजय जायसवाल पुत्र छोटेलाल निवासी नटुआ बाजारा थाना महाराजगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 25 शीशी (200 एमएल) अवैध देशी शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 95/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 15 व्यक्ति व 02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 07.03.2023 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा तबरेज निवासी प्रेमनगर चकिया थाना दक्षिणटोला, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा शिवम गुप्ता निवासी कोपाकोहना, अंकित, श्यामबाबु निवासीगण वाजीदपुरा थाना कोपागंज, थाना मधुबन पुलिस द्वारा हरिशचन्द्र, गप्पू, श्यालाल, बाबुलाल, कृष्णमोहन निवासीगण

जमीन मलौली, महेन्द्र यादव निवासी कासिमपोखरी थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा अशोक चौहान निवासी बरियासनपुर, मुनियादेवी, प्रमोद, कुसुम निवासीगण बरियासनपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी तथा वारंटी अभियुक्त थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा इमरान पुत्र गफूर निवास छपरा थाना चिरैयाकोट, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा बलीराम पुत्र रामवृत्त निवासी परसपुरा थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।